

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र-पलावा

पीठासीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर०ए०एस०)

दावा  
70/2016

रजू दिनांक  
05.04.2016

निर्णय दिनांक  
03.05.18

अनुवांन

1. रामेश्वर पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी पलावा तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज०

:-वादी

बनाम

1. ताराचन्द
2. सतवीर
3. लालाराम
4. मदन पुत्रान उमराव पौत्रान धूमी जातियान अहीरान निवासीयान पलावा तह० मुण्डावर जिला अलवर
5. राजपाल
6. नरेश पुत्रान सूरतसिंह पौत्रान धूमी जातियान अहीरान निवासीयान पलावा तह० मुण्डावर जिला अलवर
7. भगवान पुत्र धूमी जाति अहीर निवासी पलावा तह० मुण्डावर जिला अलवर
8. रोशनलाल दततक पुत्र रामजीलाल पौत्र धूमी जाति अहीर निवासी पलावा तह० मुण्डावर जिला अलवर

:-प्रतिवादीगण

दाव-हु० ई० दूवामी  
अन्तर्गत धारा-188 राज० काश्त० अधि०

-:: पर्चा डिक्री::-

दिनांक:- 03.05.2018

वादी की ओर से स्वयं वादी एवं प्रतिवादीगण स्वयं की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 03.05.2018 को श्री महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक

कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

हाल आराजी ख० नं० 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081 वाके ग्राम पलावा तह० मुण्डावर जिला अलवर के बाबत बहकवादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को उक्त विवादित आराजीयात के बाबत हु० ई० दवामी से सदैव-सदैव के लिए पाबंद किया जाता है कि वे वादी के हिस्से पर जबरन कब्जा नहीं करे, ना ही वादी को आराजी से बेदखल करे, ना ही वादी के कुल कार्य काश्तकारी में किसी भी प्रकार की मजाहमत ही पैदा करे, मौके की यथास्थिती बनाये रखे पाबंद रहे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 03.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(महेश चन्द्र मान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
मुण्डावर (अलवर)